सं. जेड.28015/7/2018-ई-II

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 9 अप्रैल, 2019

परिपत्र

विषयः संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाताओं की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एक वर्ष की अवधि हेतु संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित करता है। परामर्शदाताओं की तैनाती विभाग में होगी। परामर्शदाताओं की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियम व शर्तें संलग्न हैं। योग्यता मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से हैः

1.	संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाताओं की संख्या	2
2.	आयु सीमा	आवेदन की तारीख को अधिकतम 65 वर्ष
3.	कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4.	पात्रता	सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर या समकक्ष

2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को संभाल सकते हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के दो सप्ताह के अंदर अनुभाग अधिकारी (स्थापना-II), कमरा सं.-316-डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 (दूरभाष: 011-23061155) को संबंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण जमा करा दें।

अमित कुमार

(अमित कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टेलीफैक्सः 23061323

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एनआईसी को प्रतिलिपि
2. नोटिस बोर्ड
3. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

<u>क्रम संख्या :</u>

नामः

पिता का नामः

जन्म तिथिः

आधार सं:

सेवानिवृत्त की तारीखः

अंतिम कार्यालय का नामः

अंतिम पदनामः

अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन):

पेंशन (मूल)

दूरभाष सं:

मोबाइल नंबरः

ई-मेल आईडीः

मेलिंग पताः

स्थायी पताः

शैक्षिक अर्हताः

कार्य अनुभव (अलग से पेपर लगाएं, यदि आवश्यकता हो)

संगठन/संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

(हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांकः

अनुलग्नक-I

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-

1. परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2. सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न 1.00 बजे से 1.30 बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक होगा।
3. परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान 8 दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4. विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदात को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5. संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
6. परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीए/डीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। टीए/डीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।
8. वह अपने दायित्वों को पूरे कौशल, परिश्रम, क्षमता व किफायत के साथ करेंगे।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है, यदि कोई हो।
10. मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. सेवाकाल के दौरान, वो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12. वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13. सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

कार्य:	पदों की संख्या	पद
<u>अस्पताल-I अनुभाग के निम्नलिखित मामलों में सहायता हेतु:</u> 1. केंद्रीय सरकार के अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ से संबंधित मामले। 2. केंद्रीय सरकार के अस्पतालों के सम्बद्ध स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों से संबंधित मामले। 3. कोर्ट केस, एनएचआरसी मामले पीजी मामले, आरटीआई और संसदीय मामले। 4. भर्ती नियमों से संबंधित मामले। 5. अन्य प्रशासनिक और वित्तीय मामले।	1	सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी या समकक्ष (कानूनी पृष्ठभूमि)
<u>परिवार -II के निम्नलिखित मामलों में सहायता हेतु :</u> 1. आकांक्षात्मक जिला कार्यक्रम सहित प्रभाग के मुद्दों को संभालने के लिए। 2. परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली। 3. भारत सरकार के परिवार नियोजन संचालन से संबंधित मामले। 4. परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित संसदीय मामले।	1	सेवानिवृत्त सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर या समकक्ष